प्रेस विज्ञप्ति

12/08/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने सहारा समूह के खिलाफ पीएमएलए मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 11/08/2025 को गाजियाबाद, लखनऊ, श्रीगंगानगर और मुंबई में स्थित 9 परिसरों में तलाशी ली है। जिन संस्थाओं की तलाशी ली गई,वे संस्थाएं सहारा समूह की संस्थाओं के साथ विभिन्न भूमि और साझा लेनदेन से संबंधित थीं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ओडिशा, बिहार और राजस्थान में पुलिस द्वारा मैसर्स हुमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एचआईसीसीएसएल) और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 120ख, 1860 के तहत दर्ज तीन प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।विभिन्न सहारा समूह संस्थाओं के खिलाफ 500 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, जिसमें पीएमएलए के तहत 300 से अधिक अनुसूचित अपराध शामिल हैं, जिसमें जबरन पुनर्जमा और परिपक्वता भुगतान से इनकार के माध्यम से जमाकर्ताओं की बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है।

ईडी की जांच से पता चला कि सहारा समूह उच्च रिटर्न और कमीशन के वादों के साथ जमाकर्ताओं और एजेंटों को लुभाकर एचआईसीसीएसएल, एससीसीएसएल, एसयूएमसीएस, एसएमसीएसएल, एसआईसीसीएल, एसआईआरईसीएल, एसएचआईसीएल और अन्य जैसी संस्थाओं के माध्यम से एक पोंजी योजना का संचालन कर रहा था।निधियों को जमाकर्ता की निगरानी के बिना अनियमित तरीके से प्रबंधित किया गया था, परिपक्वता आय को जबरदस्ती या गलत बयानी के तहत पुनर्निवेश किया गया था, और इस तरह के गैर-पुनर्भुगतान को छुपाने के लिए बही खातों में हेरफेर किया गया था। वित्तीय अक्षमता के बावजूद, समूह ने नई जमा राशि एकत्र करना जारी रखा, जिसका एक हिस्सा संदिग्ध शेयर लेनदेन, बेनामी संपत्ति के निर्माण और व्यक्तिगत खर्चों आदि के लिए निकाला गया था। आगे जमाकर्ताओं के सही दावों को नकारते हुए समूह की परिसंपत्तियों को आंशिक नकद भुगतान के लिए भी बेचा गया था।

तलाशी के दौरान अपराध संकेती दस्तावेजों और अभिलेखों को जब्त कर लिया गया और प्रमुख व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए। इससे पहले, तत्काल मामले में तीन अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें अंबी वैली में 1460 करोड़ रुपये के अनुमानित बाजार मूल्य वाली 707 एकड़ भूमि, सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड में 1538 करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य वाली 1023 एकड़ भूमि और श्रीमती चांदनी रॉय, डब्ल्यू/ ओ श्री सीमांतो रॉय की चल संपत्ति 14.75 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, ईडी ने इससे पहले सहारा समूह के चेयरमैन कोर मैनेजमेंट (सीसीएम) कार्यालय के कार्यकारी निदेशक अनिल वैलापरम्पिल अब्राहम और सहारा समूह के लंबे समय से सहयोगी और संपत्ति दलाल जितेंद्र प्रसाद वर्मा को गिरफ्तार किया था। वे न्यायिक हिरासत में हैं।

आगे की जांच चल रही है |